प्रेस विज्ञप्ति

19/1/2026

<u>एचपीजेड टोकन निवेश घोटाला</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप-आंचलिक कार्यालय ने एचपीजेड टोकन घोटाले के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 12.01.2026 को एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने एस.पी.सी. पर संज्ञान लिया है। ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संख्या 03/2021 दिनांक 08.10.2021 के आधार पर एचपीजेड टोकन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए जांच शुरू की। इसके अलावा, जांच के दौरान कुछ अन्य एफआईआर भी उसी आपराधिक अपराध से जुड़ी हुई पाई गईं, अर्थात सीआईडी पीएस, उलुबाड़ी, गुवाहाटी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संख्या 0006/2021 दिनांक 02.09.2021 और सीबीआई, ईओ-III, दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संख्या RC2212022E0022 दिनांक 08.06.2022, और इसलिए, उन्हें भी जांच में शामिल किया गया। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पाया गया है कि एचपीजेड टोकन घोटाला एक बड़े पैमाने पर निवेश घोटाला है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में फैले भोले-भाले निवेशकों को एचपीजेड टोकन ऐप के माध्यम से निवेश करने के लिए धोखे से लुभाकर उनकी गाढ़ी कमाई को ठगा गया। पीएमएलए की जांच में बड़ी संख्या में म्यूल खातों, शेल कंपनियों, डमी निदेशकों के उपयोग और अपराध की आय (पीओसी) को वैध बनाने के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स की सेवाओं के दुरुपयोग का पता चला है।

पीएमएलए की जांच के दौरान, पीड़ितों/निवेशकों से एचपीजेड टोकन घोटाले के संग्रहकर्ताओं से लेकर प्रमुख आरोपियों, जिनमें भूपेश अरोड़ा और अन्य शामिल हैं, तक पीओसी का पता लगाया गया है। भोले-भाले निवेशकों से निवेश कथित तौर पर कई यूपीआई आईडी का उपयोग करके एकत्र किए गए थे, जो आईसीआईसीआई बैंक के साथ रखे गए म्यूल खातों से जुड़े पाए गए। इन म्यूल खातों में एकत्र की गई पीओसी को फिर कई अन्य शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया। इन शेल कंपनियों ने पेयू, एग्रीपे, ईजबज आदि जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स की सेवाओं को गलत तरीके से पेश करके और उनका दुरुपयोग करके पीओसी एकत्र की। इन शेल कंपनियों में एकत्र की गई पीओसी का एक छोटा सा हिस्सा भी भोले-भाले निवेशकों का विश्वास हासिल करने और उन्हें घोटाले में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें वापस कर दिया गया। इन शेल कंपनियों से, आय को फिर मेसर्स शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) और मेसर्स लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड (एलटीपीएल) द्वारा रखे गए खातों में एकत्र किया गया।

ईडी ने पूरक अभियोजन शिकायत (एस.पी.सी.) में बताया कि एसटीपीएल और एलटीपीएल के खातों का उपयोग पीओसी को शेल और संदिग्ध संस्थाओं जैसे मेसर्स डिजी इंडिया मार्केटिंग, मेसर्स एनालिटिक बिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फ्रीबी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ड्रुविंटा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ज़ेवियन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सार्क एनरोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड आदि को आगे स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। जांच से पता चला है कि इन सभी फर्जी चिंताओं को कथित तौर पर भूपेश अरोड़ा और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया गया था। भूपेश अरोड़ा ने कथित तौर पर शेल संस्थाओं, म्यूल खातों, हवाला ऑपरेटरों, विदेशी मुद्रा विनिमयकों के इस नेटवर्क का उपयोग भोले-भाले निवेशकों की एक बड़ी संख्या से एकत्र की गई इन पीओसी को वैध बनाने के लिए किया है। आरोपी भूपेश अरोड़ा वर्तमान में ईडी द्वारा इसी तरह के एक अलग मामले में गिरफ्तार है, जहां उन्होंने फिर से एक और फर्जी निवेश ऐप का उपयोग करके बड़ी संख्या में भोले-भाले निवेशकों को ठगा है।

इस मामले में मुख्य अभियोजन शिकायत पहले से ही माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष 04.03.2024 को दायर है और मामला विचाराधीन है। मामले में लगभग 2200 करोड़ रुपये के पीओसी का पता लगाया गया है। भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई पीओसी को विभिन्न म्यूल बैंक खातों में तेजी से स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ धन को हवाला नेटवर्क का उपयोग करके देश के बाहर भी भेजा गया। हालांकि, ईडी द्वारा समय पर कार्रवाई के कारण, इन म्यूल खातों में पड़ी 650 करोड़ रुपये की राशि को जांच के दौरान कुर्क कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।